फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी :– दुदाराम | विपक्षी :– सरकार

किस्म मुकदमा– विविध | पत्रावली संख्या– 07 / 2021

दिनांक – 19.05.2024

प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब में नियत होकर पेशी दिनांक 11.10.2021 को नियत थी। उस दिन अन्य न्यायालयों में वयस्थता के कारण मै माननीय न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं हो सका और लंच बाद न्यायालय में आया तो पता चला कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी पैरवी में खारीज फरमा दिया गया है। उक्त दिनांक को जवाब पेश होना था एवं प्रार्थी की उपस्थिति की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः निवेदन है कि दिनांक 11.10.2021 को अदम हाजरी में खारीज वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी के जवाब अवसर बंद किए।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी द्वारा कथन किया गया कि वाद घोषणा के सम्बध में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रतिवादी जवाब में नियत होने एवं अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में पेशियॉ होने के कारण न्यायालय हाजा में उपस्थित होने में असमर्थ रहे है। पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त वादपत्र की आदेशिका का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षी के जवाब हेतु नियत था।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 जा.दी. का सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.)
गिर्वा – उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner